

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,

जनपद— आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, इटावा, बदायूँ, बलिया, बरेली, बुलन्दशहर, बिजनौर, संतकबीर नगर, शाहजहाँपुर, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, गाजीपुर, हाथरस, हमीरपुर, हरदोई, मैनपुरी, मथुरा, महाराजगंज, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, एवं उन्नाव, उ०प्र०।

पत्र संख्या: SPMU/NUHM/HWC/2020-21/76/ 1577-

दिनांक: 09.07.2020

विषय: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को Health & Wellness Centre (HWC) के रूप में परिवर्तित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

प्रदेश के समस्त जनपदों में जन समुदाय को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने हेतु Health & Wellness Centre की स्थापना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा कुल 54 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में सुदृढीकृत किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन 54 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर को क्रियाशील किये जाने हेतु वर्ष 2020-21 के District Health Action Plan के माध्यम से धनराशि का आवंटन किया गया है।

उक्त के क्रम में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु निम्न दिशा निर्देश प्रेषित किये जा रहे हैं —

1. **इन्फ्रास्ट्रक्चर**— चिन्हित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को Health & Wellness Centre के रूप में सुदृढ किया जाना है। प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक कक्ष को Wellness Room के रूप में विकसित करते हुए प्रतिदिन 01 योगा सत्र का आयोजन किया जाना है। योगा सत्र हेतु चटाई इत्यादि की व्यवस्था की जानी है। Wellness Room में लाभार्थियों की काउन्सिलिंग, स्क्रीनिंग आदि का कार्य भी किया जायेगा।
इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर हेल्थ प्रमोशन से सम्बंधित गतिविधियों के सम्पादन हेतु भी स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त हेतु राज्य स्तर से विकसित चेकलिस्ट के अनुसार अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर द्वारा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सहयोग से गैप एनालिसिस करायी जाएगी। गैप एनालिसिस के आधार पर आधारभूत संरचना (लघु मरम्मत, फर्नीचर, कक्ष विभाजन, बिजली एवं टेलीफोन से सम्बंधित कार्य, रनिंग वाटर, उपकरण, लॉजिस्टिक, योग हेतु चटाई एवं स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत अन्य कार्य) एवं भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये Internal Branding & External Branding में उल्लेखित गतिविधियों से सम्बंधित कार्य मानकानुसार, नियमानुसार एवं वित्तीय नियमों को ध्यान में रखते हुए कराये जाने हैं।
2. **मानव संसाधन** — Health & Wellness Centre में 01 एम०बी०बी०एस० चिकित्सा अधिकारी, 01 स्टॉफ नर्स, 01 फार्मासिस्ट एवं 01 लैब टेक्नेशियन की तैनाती सुनिश्चित की जायेगी एवं सभी का प्रशिक्षण आवश्यक है।
उक्त के अतिरिक्त नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बंधित क्षेत्र की समस्त आशायें एवं ए०एन०एम० को भी Health & Wellness Centre टीम में सम्मिलित किया जायेगा।
3. **औषधि** — नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्थापित किये जाने वाले समस्त Health & Wellness Centre में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की ई०डी०एल० सूची में अंकित औषधियों के अतिरिक्त एन्टी-हाइपरटेन्सिव, एन्टी-डायबेटिक एवं एन्टी-इपिलेप्टिक औषधियों को भी सम्मिलित किया जायेगा। उक्त सूची को Health & Wellness Centre में उपलब्ध सेवाओं के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है।

4. **आई0टी0 सिस्टम** – प्रत्येक Health & Wellness Centre के लिए 01 कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर (@ Rs. 50,000/- per computer & printer per HWC) तथा इन्टरनेट कनेक्शन (@ Rs. 10,000/- per year per HWC) हेतु प्राविधान किया गया है, जिसके माध्यम से आर0सी0एच0 पोर्टल एवं Health & Wellness Centre हेतु विकसित एन0सी0डी0 ऐप एवं मॉड्यूल आदि का संचालन किया जायेगा। प्रत्येक HWC द्वारा Health & Wellness Centre पोर्टल पर Daily Reporting, MOIC/स्टाफ नर्स के माध्यम से की जानी है। उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक ए0एन0एम0 को राज्य स्तर से टेबलेट एवं सिमकार्ड उपलब्ध कराये गये हैं, जिस पर आर0सी0एच0 एवं एन0सी0डी0 स्क्रीनिंग की entry की जानी है। नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा कुल आच्छादित आबादी की इन्ट्री एन0सी0डी0 एप्लीकेशन में की जानी है। जिन मरीजों की इन्ट्री ए0एन0एम0 के टेबलेट पर नहीं है और मरीज सीधे नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इलाज के लिए आते हैं तो उनकी भी इन्ट्री नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सिस्टम पर एन0सी0डी0 एप्लीकेशन में की जाएगी।
5. **आई0ई0सी0** – प्रत्येक Health & Wellness Centre पर स्वास्थ्य, संचारी एवं गैर संचारी रोगों से संबंधित प्रचार-प्रसार सामग्री प्रदर्शित की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त साइनेज, ई0डी0एल0 एवं सिटीजन चार्टर आदि भी प्रदर्शित की जानी है।
6. **जॉचें** – भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में Health & Wellness Centre में 63 प्रकार की जॉचें उपलब्ध कराई जानी है। इस हेतु जॉचों एवं आवश्यक सामग्री की सूची पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। केन्द्र पर उपलब्ध संसाधन के आधार पर उक्त सूची में से अधिकतम जॉचे करायी जानी है। चिन्हित जॉचें हेतु आवश्यक सामग्रियों की नियमित आपूर्ति जनपद स्तर से सुनिश्चित की जानी है।
7. **प्रशिक्षण** – हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर को क्रियाशील करने हेतु वहाँ पर तैनात पूर्ण कालिक चिकित्सक, स्टाफ नर्स, ए0एन0एम0 तथा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर द्वारा आच्छादित क्षेत्र की आशा का एन0सी0डी0 माड्यूल में प्रशिक्षण कराया जाना है जो निम्न तालिकानुसार है।

S.N	District	HWCs for FY 2020-21	Name of Proposed UPHC for HWCs	NCD Training of Full time MO		NCD Training of Staff Nurse		NCD Training of ANM			ASHA Target for 54 new HWCs
				Target	Batch for MO training	Target	Batch for SN training	Target	ANM Cluster for training	Batch for ANM training	
1	Agra	2	Mantola	1		2		5	60	2 Batch in Agra	19
			Rakab ganj north	1		1		5			24
2	Mainpuri	1	Hindpuram	1		2		3			18
3	Mathura	4	Haiza hospital	1		2		6			31
			Sukhdev Nagar	1		3		5			27
			Laxmi nagar	1		2		5			26
			Vrindavan	1		2		6			6
4	Firozabad	2	Rasoolpur	1		2		6			16
			Kaushlya Nagar	1		2		6			15
5	Etawah	2	Shivnarayan Madiya	1		3		7			11
			Urdu mohalla	1		2		6			11
6	Aligarh	5	Nurangabad	1		1		5	31	1 Batch in Aligarh	31
			Bhujpura	1		1		5			21
			Nagala Tikona	1		2		5			32
			Jiwan Garh	1		1		5			31
			Upper Fort	1		1		5			27
7	Hathras	1	Madhugarhi	1		1		6			20
8	Prayagraj	6	Galla Bajar	1		1		2	30	1 Batch in Prayagraj	10
			Naini-2	1		1		4			15
			Kareily	1		2		5			10
			Sultanpur Bhawa	1		1		3			10
			Dharkar Basti	1		2		5			18
			S R N	1		1		5			25
9	Ambedkarnagar	1	Mubarakpur	1		3		6	32	1 Batch in	11
10	Bareilly	4	Swalenagar	1		2		5			14

Sl. No.	District	HWCs for FY 2020-21	Name of Proposed UPHC for HWCs	NCD Training of Full time MO		NCD Training of Staff Nurse		NCD Training of ANM			ASHA Target for 54 new HWCs
				Target	Batch for MO training	Target	Batch for SN training	Target	ANM Cluster for training	Batch for ANM training	
			Izatnagar	1		2		5		Bareilly	12
			Faridpur	1		2		6			17
			C B Ganj	1		2		5			17
11	Shahjahanpur	1	Tilhar	1		1		6			21
12	Budaun	1	Nekpur	1		2		5			22
13	Ayodhya	1	Aboo sarai	1		1		3			8
14	Azamgarh	1	Anantpura	1		1		5			11
15	Ballia	1	Bedua	1		1		5			23
16	Gorakhpur	2	Ismaylchak	1		1		2	29	1 Batch in Gorakhpur	10
			Purdilpur	1		1		3			12
17	Maharaj Ganj	1	Indra Nagar	1		3		3			21
18	S K Nagar	1	Kashiram Awas	1		1		2			12
19	Ghazipur	1	Hathikhana	1		2		6			15
20	Lucknow	3	Husainabad	1		2		5			7
			Martinpurwa	1		2		6			12
			Rajajipuram	1	2 Batch in Lucknow (RHFUTC)	1	3 Batch in Lucknow (RHFUTC)	4			3
21	Kheri	1	Unchi Bhud Gola	1		2		5			1
			Aloo thok uttari	1		2		6			11
22	Hardoi	3	Chandipurwa	1		1		5	59	2 Batch in Lucknow	10
			Kila Market	1		2		6			4
23	Unnao	1	Kashiram Colony	1		2		4			10
24	Hamirpur	1	Rath	1		2		7			22
25	Fatehpur	2	Vinoba Nagar	1		1		6			15
			Ramganj Pakka Talab	1		1		5			20
26	Ghaziabad	3	Makanpur	1		2		5			5
			Rahul garden	1		2		5			6
			Tilak ram Loni	1		2		5	27	1 Batch in Ghaziabad	5
27	Bulandshahar	1	Gulaothi	1		2		5			13
28	Bijnor	1	Moh Jatan	1		2		7			13
Total		54	54	54	2 Batch	91	3 Batch	268	268	9 Batch	837

उक्त के अतिरिक्त ए0एन0एम0 एवं चिकित्साधिकारी का एन0सी0डी0 एप्लिकेशन में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 54 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु एन0सी0डी0 माड्यूल में पूर्ण कालिक चिकित्सक का प्रशिक्षण 02 बैचों के अन्तर्गत (संलग्नक-1) एवं स्टाफ नर्स का प्रशिक्षण 03 बैचों के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र (RHFUTC) पर कराया जायेगा जिसके हेतु जनपद लखनऊ को एफ0एम0आर0 कोड U.9.5.7.1 में धनराशि डैप के माध्यम से आवंटित की जा चुकी है।

स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 का एन0सी0डी0 से संबंधित प्रशिक्षण एन0यू0एच0एम0 अनुभाग के पत्र संख्या: SPMU/NUHM/HWC/2019-20/76/3474 दिनांक 17.07.2019 में उल्लेखित बैच कास्ट एवं दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा। 268 ए0एन0एम0 के प्रशिक्षण हेतु एफ0एम0आर0 कोड U.9.5.7.3 में कुल रू0 7.92 लाख की धनराशि संबंधित RHFUTC हेतु जनपदों को आवंटित की जा चुकी है।

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर द्वारा आच्छादित क्षेत्र की आशा का एन0सी0डी0 माड्यूल में प्रशिक्षण संबंधित जनपद की ग्रामीण आशाओं के साथ सम्मिलित कर HLFPPPT के सहयोग से किया जाएगा, अतः एन0यू0एच0एम0 अनुभाग द्वारा शहरी आशाओं के एन0सी0डी0 माड्यूल में प्रशिक्षण हेतु कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की गयी है।

8. **समुदाय स्तर की गतिविधियाँ**— समुदाय को विस्तारित स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने एवं स्थानीय स्वास्थ्य समस्याओं के निराकरण हेतु यह आवश्यक है कि क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वाले समस्त परिवारों को सूचीबद्ध करते हुए उनका पंजीकरण किया जाये। इस हेतु क्षेत्र में कार्य कर रही आशाओं द्वारा क्षेत्र के समस्त परिवारों का सर्वे कर परिवारों को पंजीकृत कर फैमिली फोल्डर में दर्ज किया जाएगा एवं परिवार के 30 वर्ष से अधिक आयु की महिला एवं पुरुष का Community Base Assessment Checklist (C-BAC) फार्म भरा जायेगा एवं गैर संचारी रोगों का रिस्क असेसमेंट किया जायेगा।

आशाओं को फैमिली फोल्डर, C-BAC फार्म एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रपत्र उपलब्ध कराये जायेंगे। यह फैमिली फोल्डर Health & Wellness Centre पर रक्षित किये जायेंगे। आशा द्वारा अपने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान भरे हुए C-BAC फार्म एवं फैमिली फोल्डर ए0एन0एम0 के पास जमा किये जायेंगे। ए0एन0एम0 द्वारा अपने टैबलेट पर एन0सी0डी0 मोबाईल एप्लीकेशन में उक्त C-BAC फार्म एवं फैमिली फोल्डर की सूचनाओं को अंकित किया जायेगा। आशाओं द्वारा चरणबद्ध रूप से अपने क्षेत्र के 30 वर्ष से अधिक आयु के महिला एवं पुरुष जिनका C-BAC फार्म भरा गया है, का गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग हेतु Health & Wellness Centre पर संदर्भन किया जायेगा एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसके क्षेत्र के समस्त 30 वर्ष से अधिक आयु के महिला एवं पुरुषों की स्क्रीनिंग डायबिटीज एवं उच्च रक्तचाप के लिए वर्ष में एक बार एवं तीनों प्रकार के कैंसर ओरल, ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग (पुरुषों के लिए केवल ओरल कैंसर स्क्रीनिंग) 5 वर्ष में एक बार अवश्य करा ली जायेगी।

स्क्रीनिंग के पश्चात पाये गये गैर संचारी रोगों से ग्रसित रोगियों की जाँच, उपचार एवं संदर्भन में हेल्थ वेलनेस सेण्टर के स्टाफ द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा, यदि किसी रोगी द्वारा इलाज के दौरान नियमित रूप दवा नहीं ली जा रही है तो उन्हें पुनः Health & Wellness Centre पर लाने की सूचना प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा सम्बन्धित आशा एवं ए0एन0एम0 को दी जायेगी। आशा द्वारा ए0एन0एम0 के सहयोग से विभिन्न गैर संचारी रोगों से ग्रसित रोगियों के समूह (Patient Groups) बनाये जायेंगे, जिनकी समय-समय पर बैठक Health & Wellness Centre/UHND/MAS पर कराई जायेगी। इन बैठकों में सदस्यों द्वारा अपने अनुभव साझा किये जायेंगे एवं नियमित रूप से औषधि का सेवन करने से होने वाले लाभों के बारे में भी चर्चा की जायेगी, जिससे अन्य लोगों को भी स्क्रीनिंग कराने हेतु प्रेरणा मिलेगी। Health Promotion Day को भी लोगो में जागरूकता लाने हेतु आशा द्वारा Platform के रूप में उपयोग किया जायेगा।

आशाओं द्वारा क्षेत्र में आयोजित किये जाने वाले शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों को अधिक सुदृढ़ कराया जायेगा, जिससे शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों को प्रदान की जाने वाली सेवायें अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचायी जा सके। इस हेतु आशाओं द्वारा नियमित रूप से गृह भ्रमण कर एवं एम0ए0एस0 की बैठकों में लोगों को शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों पर दी जाने वाली सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

9. **आशा हेतु परफार्मेंस बेस्ड इंसेन्टिव** — Health & Wellness Centre के क्षेत्र की आशाओं को अपने क्षेत्र में निम्न लक्ष्य को प्राप्त करने पर रू0 1000/— प्रति माह की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जाएगी।

गतिविधि	लाभार्थी की आयु	प्रारंभिक जाँच की आवृत्ति	आपेक्षित वार्षिक लाभार्थी (1000 – 2500 जनसंख्या)	आपेक्षित मासिक लाभार्थी (1000 – 2500 जनसंख्या)
उच्च रक्तचाप	30 वर्ष या अधिक	वर्ष में 01 बार	370–925	31–78
मधुमेह	30 वर्ष या अधिक	वर्ष में 01 बार	370–925	31–78
स्तन कैंसर	30–65 वर्ष	05 वर्ष में 01 बार	181–453	3–8
मुख का कैंसर	30–65 वर्ष	05 वर्ष में 01 बार	370–925	6–15
बच्चेदानी के मुंह का कैंसर	30–65 वर्ष	05 वर्ष में 01 बार	181–453	3–8
परिवार सर्वे (C-BAC फार्म अंकन सहित)	30 वर्ष या अधिक	वर्ष में 01 बार	200–500 घर	17–42 घर

आशाओं को देय प्रतिपूर्ति राशि का सत्यापन सम्बन्धित ए0एन0एम0 तथा Health & Wellness Centre के चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा। आशा द्वारा अपने क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार आपेक्षित मासिक लक्ष्य में से कम से कम 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जाने पर रू0 1000/— एवं 30–59 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जाने पर रू0 500/— की धनराशि दी जायेगी। अपेक्षित मासिक लक्ष्य से 30 प्रतिशत से कम कार्य करने पर

कोई भी प्रतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी। आशा द्वारा उक्त धनराशि का अंकन वाउचर में अन्य प्रतिपूर्ति राशि के साथ अंकित कर भुगतान हेतु ए0एन0एम0 के माध्यम से नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (Health & Wellness Centre) पर प्रस्तुत किया जाएगा। यह भुगतान आशा को दिये जाने वाले अन्य भुगतानों के साथ ही किया जाएगा, जो पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से उनके खाते में स्थानांतरित कर दी जायेगी।

10. **सेवाएं** — Health & Wellness Centre में Comprehensive primary health care (CPHC) के अन्तर्गत निम्न सेवाएं प्रदान की जायें —

- I. **गर्भावस्था एवं प्रसव सम्बन्धी सेवाएं**— Health & Wellness Centre क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व देखभाल जैसे—शीघ्र पंजीकरण, एम0सी0पी0 कार्ड उपलब्ध कराया जाना, वजन, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, पेशाब की जाँच, ब्लड शुगर, पेट की जाँच, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं संदर्भन आदि की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त टी0टी0, आयरन एवं कैल्शियम सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराया जायेगा। जिन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में प्रसव की सुविधा है वहाँ प्रसव कक्षाओं को सुदृढ़ किया जाएगा एवं नवजात तथा माताओं सम्बन्धी आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करायी जाएगी। प्रसव कक्ष में मानकानुसार न्यूबार्न केयर कॉर्नर की स्थापना भी की जाएगी।
- II. **नवजात एवं शिशुओं से सम्बन्धित सेवाएं**— शिशुओं को पूर्ण टीकाकरण, डायरिया एवं निमोनिया की पहचान, प्राथमिक उपचार एवं संदर्भन, विटामिन—ए सप्लीमेंटेशन आदि सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त नवजात एवं शिशुओं का वजन, जन्म दोष (Birth Defect), कुपोषण का चिन्हिकरण एवं संदर्भन किया जायेगा।
- III. **बाल्यकाल एवं किशोरावस्था सम्बन्धी स्वास्थ्य देखभाल**— 1—5 वर्ष के सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण डायरिया एवं निमोनिया से बचाव—उपचार एवं संदर्भन, बच्चों के विकास सम्बन्धी समस्याओं का चिन्हीकरण व संदर्भन एवं बच्चों की सामान्य बीमारियों की पहचान, प्राथमिक उपचार एवं संदर्भन किया जाएगा। किशोरावस्था स्वास्थ्य सम्बन्धी सलाह, मादक द्रव्यों के सेवन से बचाव सम्बन्धी सलाह तथा किशोरियों को आयरन की गोलियाँ एवं मासिक धर्म सम्बन्धी सलाह एवं संदर्भन किया जाएगा।
- IV. **परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक साधन एवं अन्य प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवायें**— Health & Wellness Centre पर आने वाले समस्त लक्षित दम्पतियों को परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्श प्रदान किया जायेगा। परिवार नियोजन के साधन जैसे कण्डोम, ओरल पिल्स, इमरजेन्सी पिल्स, छाया एवं अन्तरा की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना एवं आई0यू0सी0डी0 लगाने की नियमित सुविधा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त नसबन्दी एवं आई0यू0सी0डी0 के लाभार्थियों के फॉलो—अप की भी सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। गर्भपात के सम्बन्ध में आवश्यक सलाह, फालो—अप एवं संदर्भन की सुविधा प्रदान की जायेगी। आर0टी0आई0/एस0टी0आई0 एवं अन्य स्त्री रोग सम्बन्धी जाँच एवं संदर्भन किया जाएगा।
- V. **सामान्य संचारी रोगों का प्रबन्धन एवं सामान्य बीमारियों हेतु बाह्य रोगियों का इलाज**— संचारी रोग जैसे डायरिया, डीसेन्टरी, टायफाइड, हैपेटाइटिस, रैबीज, कृमि रोग की पहचान एवं प्रबन्धन। सामान्य बीमारियाँ जैसे— बुखार, पेट दर्द, दस्त, जोड़ दर्द, त्वचा सम्बन्धी बीमारियों का प्राथमिक उपचार एवं आवश्यकतानुसार संदर्भन किया जाएगा।
- VI. **राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत संचारी रोगों का प्रबन्धन**—क्षय रोग की पहचान, संदर्भन तथा उपचार एवं default retrieval सम्बन्धी सेवायें प्रदान की जाएंगी। मलेरिया, फाइलेरिया, जे0ई0, डेंगू, कालाजार, एच0आई0वी0 एवं अन्य संचारी रोगों की जाँच, प्राथमिक उपचार एवं संदर्भन करना तथा दीर्घकालिक बीमारियों जैसे क्षय रोग एवं कुष्ठ रोग के रोगियों को समय से दवाईयाँ उपलब्ध कराया जाएगा।
- VII. **गैर संचारी रोगों की जाँच, बचाव, रोकथाम एवं प्रबन्धन**— 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त पुरुष एवं महिलाओं की प्रमुख गैर संचारी रोग जैसे—डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, तीन प्रकार के कैंसर (ओरल, सर्वाइकल एवं ब्रेस्ट) की प्रारम्भिक जाँच, उपचार एवं संदर्भन किया जाएगा। गैर संचारी रोग से ग्रसित रोगियों का फॉलो—अप, default retrieval एवं संदर्भन एन0सी0डी0 ऐप के माध्यम से किया जायेगा।
- VIII. **आँख एवं नाक, कान, गला की सामान्य देखभाल एवं संदर्भन।**
- IX. **ओरल हेल्थ सम्बन्धी देखभाल एवं संदर्भन।**

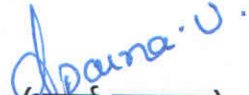
- X. वृद्धावस्था एवं उपशामक (Elderly & Palliative care) स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ।
XI. आकस्मिक चिकित्सा सेवाएँ जैसे- बर्न एवं ट्रामा आदि।
XII. मानसिक स्वास्थ्य से सम्बंधित बीमारियों की स्क्रीनिंग एवं प्रबन्धन।

11. मूल्यांकन एवं अनुश्रवण - Health & Wellness Centre द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0/अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर व अन्य द्वारा नियमित रूप से की जायेंगी। प्रत्येक माह जनपद स्तर पर बैठक आयोजित कर Health & Wellness Centre में प्रदान की जा रही सेवाओं, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, केन्द्र द्वारा संदर्भित रोगियों के विषय में एवं एच0डब्लू0सी0 के संचालन में आ रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में चर्चा की जाएगी। उक्त बैठक में Health & Wellness Centre के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकों में अनिवार्य रूप से Health & Wellness Centre के सम्बन्ध में चर्चा किया जाना अनिवार्य है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार अनुसार हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर का संचालन कराते हुए प्रगति रिपोर्ट महानिदेशालय एवं एस0पी0एम0यू0 (e-mail- urbanhealthup2020@gmail.com) को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीया


(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्र संख्या: SPMU/NUHM/HWC/2020-2021/76/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. महाप्रबंधक कम्युनिटी प्रोसेस एवं उपमहाप्रबंधक एन0सी0डी0, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
6. संबंधित मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बंधित जनदीय कार्यक्रम प्रबन्धक/जनपदीय अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर, उत्तर प्रदेश।


(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पूर्ण कालिक चिकित्सक की एन0सी0डी0 माड्यूल के अन्तर्गत प्रशिक्षण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में अनुमोदित प्रदेश के 54 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। इन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर से सम्बन्धित पूर्ण कालिक चिकित्सक को भारत सरकार द्वारा प्रेषित एन0सी0डी0 माड्यूल पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। पूर्ण कालिक चिकित्सक का 02 दिवसीय (आवासीय) प्रशिक्षण जनपद लखनऊ के सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र पर निम्न तालिका में उल्लेखित जनपदों के अनुसार आयोजित किया जाएगा -

S.N	District	HWCs for FY 20-21	MO Target	MO NCD Training
1	Agra	2	2	2 Batches for MO NCD module training to be done in RHFWTC Lucknow
2	Mainpuri	1	1	
3	Mathura	4	4	
4	Firozabad	2	2	
5	Etawah	2	2	
6	Aligarh	5	5	
7	Hathras	1	1	
8	Prayagraj	6	6	
9	Ambedkar nagar	1	1	
10	Bareilly	4	4	
11	Shahjahanpur	1	1	
12	Badaun	1	1	
13	Ayodhya	1	1	
14	Azamagarh	1	1	
15	Ballia	1	1	
16	Gorakhpur	2	2	
17	Maharajganj	1	1	
18	SK Nagar	1	1	
19	Ghazipur	1	1	
20	Lakhimpur Kheri	1	1	
21	Lucknow	3	3	
22	Hardoi	3	3	
23	Unnao	1	1	
24	Hamirpur	1	1	
25	Fatehpur	2	2	
26	Ghaziabad	3	3	
27	Bulandshahar	1	1	
28	Bijnor	1	1	
Total		54	54	2 Batch

पूर्ण कालिक चिकित्सक एन0सी0डी0 माड्यूल में प्रशिक्षण सम्बन्धी दिशा-निर्देश निम्नवत् है-

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत समस्त हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर कार्यरत पूर्ण कालिक चिकित्सक को एन0सी0डी0 माड्यूल में ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति ही प्रशिक्षण कराया जाना है। एन0सी0डी0 माड्यूल के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रदान किया जायेगा।

प्रत्येक बैच में प्रतिदिन अधिकतम 04 एवं न्यूनतम 03 प्रशिक्षक ही प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। समस्त प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण स्तर पर उपस्थित रहना तथा सक्रिय सहभागिता देना आवश्यक है। किसी भी दशा में ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान न किया जाये जिन्होंने प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) प्राप्त न किया हो।

1. प्रतिभागियों का चयन

एन0सी0डी0 माड्यूल के अन्तर्गत प्रशिक्षण वर्ष 2020-21 में स्वीकृत नवीन हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर हेतु चयनित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत 01 पूर्ण कालिक चिकित्सक प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का कराया जाना है।

2. प्रशिक्षण स्थल सम्बन्धी व्यवस्थाएं

- सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केन्द्र पर पूर्ण कालिक चिकित्सक का 02 दिवसीय (आवासीय) एन0सी0डी0 माड्यूल के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए की प्रशिक्षण स्थल पर समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध हो।
- चिकित्सक के ठहरने, भोजन, पीने के पानी, सुरक्षा, साफ सफाई, बिजली/जेनरेटर आदि की समुचित व्यवस्था की जाए।
- प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सक के लिए दो बार चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन आदि की व्यवस्था की जानी है। प्रशिक्षकों की चाय, भोजन आदि हेतु भी बजट में व्यवस्था की गयी है।
- प्रत्येक प्रशिक्षण बैच में 30 चिकित्सकों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। किसी भी दशा में 20 से कम का बैच आयोजित नहीं किए जाएंगे। विशेष परिस्थिति में राज्य स्तर से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा, अतः प्रतिभागियों के नामांकन की पुष्टि ससमय कराए।
- प्रशिक्षण ऐसे कक्ष में आयोजित किया जाय जहां 30 चिकित्सक तथा चार प्रशिक्षकों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो सके। अभ्यास सत्र एवं ग्रुप वर्क हेतु अतिरिक्त कक्षों की व्यवस्था भी की जानी होगी।
- प्रशिक्षण कक्ष में ब्लैक/व्हाइट बोर्ड, आई0ई0सी0 सामग्री तथा बैठने हेतु पर्याप्त फर्नीचर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

3. प्रशिक्षण का संचालन एवं प्रशिक्षण कैलेण्डर

- जनपदीय अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर द्वारा संबंधित जनपदों के साथ समन्वय स्थापित कर, नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0 के निर्देशन में प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार कर राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई/परिवार कल्याण महानिदेशालय उ0प्र0, को प्रेषित किया जायेगा। प्रशिक्षण कैलेण्डर में किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में सूचना राज्य स्तर पर प्रेषित की जायेगी जिससे राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जा सके।
- प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन प्रशिक्षण माड्यूल की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए किया जाये। कार्यक्रम सारणी में दी गई सत्र योजना, समय योजना, सत्रों की विषय वस्तु तथा प्रशिक्षण पद्धति का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर कार्यरत चिकित्सक को एन0सी0डी0 माड्यूल में ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति ही प्रशिक्षण कराया जाना है। प्रशिक्षण एन0सी0डी0 माड्यूल पर राज्य स्तर पर प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- प्रशिक्षण के दौरान वार्ता कक्ष में सत्रों के साथ-साथ अभ्यास सत्र अवश्य आयोजित किये जाये।
- प्रशिक्षण कार्य हेतु जेनरेटर की व्यवस्था भी प्रधानाचार्य सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केन्द्र द्वारा अवश्य सुनिश्चित करायी जाये जिस हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था Institutional overhead बजट में की गई है।
- प्रशिक्षण के प्रथम दिन प्री-टेस्ट तथा अन्तिम दिन पोस्ट-टेस्ट कराया जाय एवं प्रतिभागियों का फिडबैक लिया जाये। ये सभी प्रपत्र प्रशिक्षण केन्द्र स्तर पर प्रशिक्षकों की मदद से तैयार किये जायेंगे।
- प्रशिक्षकों को उनके द्वारा लिये जाने वाले सत्रों/विषयों के विषय में प्रस्तुतिकरण पूर्व में ही तैयार कर लिया जाये।
- प्रशिक्षण के आयोजन के साथ किसी अन्य प्रशिक्षण/गतिविधि/कार्यक्रम को न लगाया जाये और न ही प्रशिक्षकों को किसी अन्य प्रशिक्षण/गतिविधि में लगाया जाये।

4. वित्तीय मानक एवं दिशा निर्देश

- व्यय के मानक (अधिकतम) नीचे दर्शाये जा रहे हैं, जो वास्तविक व्यय के आधार पर मान्य होंगे। व्यय का आंकलन वास्तविक संख्या के अनुसार ही किया जायेगा।

तालिका-1 (Cost of 02 days MO Training at RHFUTC Level for a batch of 30)

Sr.	Item	Rate	Days	Units	Amount
1	Per diem to participants	400	2	30	24000
2	Honoraria to Trainers	1000	2	4	8000
3	Food for Participants (Breakfast, Tea, Lunch, Dinner etc.)	250	2	30	15000
4	Food for trainers	200	2	4	1600
5	Contingency (Module photocopy, Register, Pen, pencil, rubber, cutter, Group potography, certificate, Banner etc.)	200	2	30	12000
					60,600
	Total				6060
6	IOH [10%] [Applicable in training centre]	200		30	6000
7	Module				45,000
8	TA to Participant /Trainer as per norm on actual basis				1,17,660
	Total cost for 1 batch			2	2,35,320
	Grand Total cost for 2 batches	1,17,660			

5. अन्य व्यवस्थायें

- चिकित्सक को प्रशिक्षण परान्त परडायम एवं यात्रा भत्ता तालिका में अंकित धनराशि में से वास्तविक व्यय के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा।
- प्रशिक्षकों को मानदेय का भुगतान ऊपर तालिका में दी गयी दर से किया जायेगा।
- विभिन्न मदों पर व्यय प्रतिभागियों की संख्या एवं वास्तविक व्यय के आधार पर निर्धारित बजट सीमा के भीतर ही किया जाएगा एवं समस्त भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जायेगा।
- वित्तीय मानकों में किसी प्रकार के परिवर्तन न किये जाये।
- यात्रा भत्ता का भुगतान राजकीय मानकों के अनुसार वास्तविक व्यय के आधार पर किया जायेगा।
- सभी बिल वाउचर, प्रशिक्षण की फोटोग्राफ, प्रतिभागियों की सूची, रिसोर्स परसन की सूची, नाम, पता उनको दिया गया मानदेय आदि समस्त अभिलेख भविष्य के लिए सुरक्षित रखे जायें। प्रशिक्षण के दौरान वितरित की गयी सामग्री का विवरण भी सुरक्षित रखना होगा।
- प्रशिक्षण उपरान्त प्रतिभागियों की सूची, प्रशिक्षण की फोटोग्राफ एवं प्रशिक्षण नोट राज्य स्तर पर प्रेषित किया जायेगा।

6. वित्तीय प्रबन्धन

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थापित हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में कार्यरत 01 पूर्ण कालिक चिकित्सक को प्रशिक्षित किया जाना है, जिसके संबंध में एफ0एम.0आर0 कोड U.9.5.7.1 के अन्तर्गत रु0 1,17,660/- प्रति बैच की दर से कुल रु0 2.35 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। उक्त धनराशि का उपयोग नियमानुसार चिकित्सक के प्रशिक्षण हेतु किया जायेगा।

7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

प्रशिक्षण सत्र का अनुश्रवण जनपद एवं मण्डल स्तरीय अधिकारी द्वारा अवश्य किया जाए। प्रशिक्षण बैच की समाप्ति के पश्चात जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण की रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित की जाएगी।

- X. वृद्धावस्था एवं उपशामक (Elderly & Palliative care) स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ।
XI. आकस्मिक चिकित्सा सेवाएँ जैसे- बर्न एवं ट्रामा आदि।
XII. मानसिक स्वास्थ्य से सम्बंधित बीमारियों की स्क्रीनिंग एवं प्रबन्धन।

11. मूल्यांकन एवं अनुश्रवण - Health & Wellness Centre द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0/अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर व अन्य द्वारा नियमित रूप से की जायेंगी। प्रत्येक माह जनपद स्तर पर बैठक आयोजित कर Health & Wellness Centre में प्रदान की जा रही सेवाओं, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, केन्द्र द्वारा संदर्भित रोगियों के विषय में एवं एच0डब्लू0सी0 के संचालन में आ रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में चर्चा की जाएगी। उक्त बैठक में Health & Wellness Centre के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकों में अनिवार्य रूप से Health & Wellness Centre के सम्बन्ध में चर्चा किया जाना अनिवार्य है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार अनुसार हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर का संचालन कराते हुए प्रगति रिपोर्ट महानिदेशालय एवं एस0पी0एम0यू0 (e-mail- urbanhealthup2020@gmail.com) को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीया

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक
तद्दिनांक

पत्र संख्या: SPMU/NUHM/HWC/2020-2021/76/ 1577-7
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. महाप्रबंधक कम्युनिटी प्रोसेस एवं उपमहाप्रबंधक एन0सी0डी0, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
6. संबंधित मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बंधित जनदीय कार्यक्रम प्रबन्धक/जनपदीय अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर, उत्तर प्रदेश।

Aparna U.
(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक